"ओपन टू ऑल मॉडल" के आधार पर प्रदेश के 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रस्ताव

प्रदेश के 5 जनपदों यथा–मुरादाबाद, शामली, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर में खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन नहीं हो सका है जिस पर यह निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है कि उक्त 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का कार्य किसी भी संस्था, उद्यमी एवं नागरिक द्वारा किया जा सकता है ताकि इन जनपदों में **"ओपन टू ऑल मॉडल"** के आधार पर विभिन्न छोटे उद्यमियों एवं नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया जा सके। इस हेतु उक्त जनपदों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन निम्नवत् मॉडल्स के आधार पर किया जायेगा:–

(i) डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.)

(ii) स्वतन्त्र उद्यमी / नागरिक

वर्तमान में 70 जनपदों में खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा रू0 25 लाख की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी डी.ई.जी.एस. सोसाईटी के पक्ष में प्रदान की गयी है। **उक्त 5 जनपदों में कम परफार्मेन्स बैंक गारण्टी रू. 10 लाख डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में जमा कर ई–सुविधा एवं इच्छुक संस्थायें डी.एस.पी. संस्था के रूप में कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त छोटे अथवा स्वतन्त्र उद्यमियों हेतु एक अथवा अधिक सेन्टर खोले जाने हेतु** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति सेन्टर रू. 5 हजार मात्र का पंजीकरण शुल्क तथा नगरीय क्षेत्र में प्रति सेन्टर रू. 10 हजार मात्र का पंजीकरण शुल्क डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में जमा कर जन सेवा केन्द्र संचालित किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है। डी.एस.पी. एवं स्वतन्त्र उद्यमियों / नागरिकों द्वारा जन सेवा केन्द्रों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:–

I. डी.एस.पी. के रूप में कार्य करने में इच्छुक संस्थाओं के सम्बन्ध में:–

1. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सं0–1527 / 78–2–2013–53आईटी / 2012 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 20 देय होता है और खतौनी की सेवा में प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 30 देय होता है जोकि निम्न तालिकानुसार है:–

क्र0 सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू.) (तालिका–1)				कुल यूजर चार्ज (रू.)
		एस.सी.ए. / केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस. / लोकवाणी सोसाईटी	सी.ई.जी.	
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	10	5	3	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	15	10	3	2	30

उक्त तालिका में नई व्यवस्था में डी.एस.पी. चयन हेतु निविदाओं में निम्नलिखित दरें प्राप्त हुयी है जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (डी.ई.जी.एस.), डी.एस.पी. एवं केन्द्र संचालक के अंश में प्रत्येक शासकीय सेवाओं हेतु निम्न संशोधन किया गया है:–

क्र0 सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू.) (तालिका–2)				कुल यूजर चार्ज (रू.)
		डी.एस.पी./ केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	6	5	7	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	11	10	7	2	30

उपरोक्त तालिकानुसार डी.एस.पी. के अंश की धनराशि में से प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 4 डी. एस.पी. द्वारा डी.ई.जी.एस. को देय होगा। शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूज़र चार्ज़ेज में से प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 7 डी.एस.पी. द्वारा डी.ई.जी.एस. को देय होगा।

2. डी.एस.पी. द्वारा डी.ई.जी.एस. से अनुबन्ध के 6 माह के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायतों के मध्य एक जन सेवा केन्द्र स्थापित करना होगा। उसके उपरान्त अगले 6 माह में या उससे पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक जन सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य होगा। शहरी क्षेत्र में 10 हजार की आबादी पर कम से कम एक जन सेवा केन्द्र स्थापित करना होगा।

3. डी.एस.पी. संस्था रजिस्टर्ड कम्पनी/कॉन्सॉर्टियम/प्रोपराईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर)/सोसाइटी (सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत) इत्यादि हो सकते है।

4. डी.एस.पी. संस्था पिछले 3 वर्ष से कार्यरत संस्था होनी चाहिए जिसका वार्षिक टर्न ओवर रू. 1 करोड़ होना आवश्यक है।

5. डी.एस.पी. संस्था किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्ध शासकीय संस्था द्वारा धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार हेतु ब्लैकलिस्ट नही होनी चाहिए।

6. डी.एस.पी. संस्था द्वारा सीधे आम जनमानस के लाभ सम्बन्धी परियोजना इत्यादि का कार्य अवश्य किया गया हो।

7. डी.एस.पी. द्वारा प्रति जनपद रू. 10 लाख की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी डी.ई.जी.एस. के पक्ष में देय होगी जिसकी वैधता डी.ई.जी.एस. के साथ हुये अनुबन्ध की तिथि से 4 वर्ष 6 माह की होगी जिसमें से 4 वर्ष अनुबन्ध की अवधि तथा 6 माह का क्लेम पीरियड होगा।

8. डी.एस.पी. द्वारा प्रत्येक जनपद में एक कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें कम से कम 2 मैनपॉवर होंगी। डी.एस.पी. द्वारा जन सेवा केन्द्रों से सम्बन्धित सभी आवर्ती व अनावर्ती व्यय स्वयं किये जायेंगे।

9. स्टेट पोर्टल से इन्टीग्रेशन हेतु डी.एस.पी. को अपना एक पोर्टल विकसित किया जाना होगा जिसके माध्यम से स्टेट की ई–गवर्नेन्स सेवाओं का एक्सेस किया जा सकेगा।

10. डी.एस.पी. द्वारा विकसित पोर्टल पर पेमेन्ट गेटवे की सुविधा उपलब्ध होगी जिसके माध्यम से समस्त वी.एल.ई. डी.एस.पी. पोर्टल पर अपने ई–वॉलेट में अग्रिम धनराशि जमा करसकेंगे तथा उक्त ई–वॉलेट का उपयोग कर विभिन्न शासकीय सेवाओं हेतु ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।

11. डी.एस.पी. द्वारा स्टेट पोर्टल के प्रि–पेड वॉलेट में शासकीय सेवाओं हेतु निर्धारित यूज़र चार्ज़ेज के सापेक्ष अग्रिम धनराशि बनायी रखी जायेगीजिससे आम जनमानस को शासकीय सेवायें निर्बाध रूप से प्रदान की जा सके।

12. किसी नॉन परफार्मेन्स अथवा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में डी.ई.जी.एस. द्वारा डी.एस.पी. के अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

II. **स्वतन्त्र उद्यमी/नागरिक द्वारा जन सेवा केन्द्र स्थापित एवं संचालित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों/अर्हताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगाः–**

1. आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सं0–1527/78–2–2013–53आईटी/2012 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 20 देय होता है और खतौनी की सेवा में प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 30 देय होता है। नई व्यवस्था में डी.ई.जी.एस., डी.एस.पी. एवं केन्द्र संचालक के मध्य अंश विभाजन निम्न तालिकानुसार हैः–

क्र0 सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू.)				कुल यूजर चार्ज (रू.)
		डी.एस.पी./ केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	6	5	7	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	11	10	7	2	30

2. स्वतन्त्र जन सेवा केन्द्रों हेतु ऐसे स्थान, जहां पूर्व से ही जन सेवा केन्द्र अवस्थापित नही है, को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. उपरोक्त 5 जनपदों में केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति सेन्टर रू. 5 हजार मात्र तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति सेन्टर रू. 10 हजार मात्र का पंजीकरण शुल्क जमा कर एवं निम्नलिखित शर्तों/अर्हताओं को पूर्ण करने वाले इच्छुक नागरिकों को डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा आवश्यकतानुसार केन्द्र आवण्टित किये जायेंगे जिसके पश्चात् केन्द्र संचालक को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. डी.ई.जी.एस. द्वारा एक निश्चित समय–सीमा हेतु स्वतन्त्र जन सेवा केन्द्रों हेतु आवेदन मांगे जायेंगे जिसमें निम्न प्रपत्र/अर्हता आवश्यक रूप से मांगे जायेंगेः–

5.1 लिखित आवेदन पत्र।

5.2 पासपोर्ट साईज फोटो।

5.3 मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी.।

5.4 हाई स्कूल पास का प्रमाण पत्र।

5.5 फोटो आई.डी. एवं स्थायी पता पिन कोड सहित।

5.6 बैंक का नाम तथा खाता संख्या।

5.7 परिवचन (अन्डरटेकिंग)

5.8 आयु (18 वर्ष से अधिक)

5. केन्द्र संचालक को स्टेट पोर्टल पर एक लॉगिन आई.डी. डी.ई.जी.एस./ई.डी.एम./डी. आई.ओ. द्वारा निर्गत की जायेगी जिसमें प्रि-पेड वॉलेट की सुविधा प्रदान की जायेगी। केन्द्र संचालक द्वारा शासकीय सेवाओं को प्रदान करने हेतु धनराशि अग्रिम के रूप में अपने ई-वॉलेट में जमा की जायेगी।

6. केन्द्र संचालक द्वारा एक निश्चित स्थान जोकि उपरोक्त प्रपत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा, पर ही अपने जन सेवा केन्द्र का संचालन किया जायेगा। किसी भी स्थान परिवर्तन की आवश्यकता हेतु डी.ई.जी.एस. से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

7. स्वतन्त्र जन सेवा केन्द्र का पंजीकरण 3 वर्ष हेतु मान्य होगा जिसका नवीनीकरण रू. 5 हजार मात्र के नवीनीकरण शुल्क डी.ई.जी.एस. के पक्ष में जमा कर किया जा सकता है।

8. किसी नॉन परफार्मेन्स अथवा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में डी.ई.जी.एस. द्वारा केन्द्र संचालक के अनुबन्ध को स्थगित अथवा समाप्त करने का अधिकार होगा।